

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 03, 2019/ज्येष्ठ 13, 1941

No. 185]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 03, 2019/JYAISTHA 13, 1941

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

शुद्धिपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2019

स. 12/X/STD(CONN)/GM/CEA/2018.—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) (संशोधन) विनियम, 2019 के प्रकाशन हेतु, अधिसूचना संख्या 12/X/STD(CONN)/GM/CEA/2018 दिनांक 6 फरवरी, 2019 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 दिनांक 8 फरवरी, 2019 को प्रकाशित की गयी थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है. अर्थात्:-

- (क) पृष्ठ 4, लाइन 27 पर, संख्या "2018" के स्थान पर संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा.
- (ख) पृष्ठ 5, लाइन 14 पर, संख्या "2018" के स्थान पर संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा.
- (ग) पृष्ठ 5, लाइन 18 पर, संख्या "2018" के स्थान पर संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा.
- (घ) पृष्ठ 5, लाइन 23 पर, संख्या "2018" को हटाया जाएगा.
- (ङ) पृष्ठ 5, लाइन 25 पर, संख्या "2018" को हटाया जाएगा.

[विज्ञापन-III/4/असा/71/19]

पी.सी. कुरील, सचिव

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY**CORRIGENDUM NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th May, 2019

No.12/X/STD(CONN)/GM/CEA/2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 177 of the Electricity Act, 2003, the Central Electricity Authority hereby makes the following amendments in the notification of the Central Electricity Authority number 12/X/STD(CONN)/GM/CEA/2018, dated 6th February 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 8th February 2019 publishing the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) (Amendment) Regulations, 2019, namely:—

- (a) At page 8, line 35, the figure “2018” shall be substituted with the figure “2019”.
- (b) At page 9, line 10, the figure “2018” shall be substituted with the figure “2019”.
- (c) At page 9, line 16, the figure “2018” shall be substituted with the figure “2019”.
- (d) At page 9, line 20, the figure “2018” shall be deleted.
- (e) At page 9, line 21, the figure “2018” shall be deleted.

[ADVT.-III/4/EXTY./71/19]
P. C. KUREEL, Secy.